(c) what amount has been collected as salt cess from Gujarat and Rajasthan in the last three years, State-wise; and

(d) what is the amount spent for the welfare activities of salt producers in Gujarat and Rajasthan in the last three years, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The total amounts collected as salt cess from Gujarat and Rajasthan during the year 1987-88 to 1989-90 were Rs. 406.38 lakhs and Rs. 37.50 lakhs respectively. The amounts spent on development and labour welfare activities in Gujarat and Rajasthan during the year 1987-88 to 1989-90 were Rs. 58.90 lakhs and Rs. 16.75 lakhs respectively.

Constitution of Interim Board for Managing AIR and Doordarshan

608. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have any proposal to constitute an interim Board for managing the affairs of AIR & Doordarshan in view of delay in implementing the Prasar Bharati Act; and

(b) if so, the details theroef?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFOMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में रिक्त पद

609. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड 4, ग्रेड 3 तथा कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड में बहुत से पद स्वीकृत होने के बावजूद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रत्येक ग्रेड में अलग-अलग स्वीकृत किये गये पदों की संख्या कितनी है और वे किन-किन तारीखों को स्वीकृत किये गये, स्वीकृति के पश्चात् उन्हें न भरे जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त सेवा के प्रत्येक ग्रेड में खाली होने वाले कुल पदों को भरने के लिये तत्काल शीघ्र कदम उठाये जायें?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा का भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चल रहे विभिन्न सांख्यिकीय कार्यों संबंधी पदों और ऐसे संवर्ग बनाने के लिये पेश किये गये पदों का समय-समय पर संवर्ग में शामिल करते हुये गठन किया गया है । 1-11-61 (जब भा.सां.से. का गठन किया गया था) तथा 1-12-90 को संवर्ग संख्या तथा संबद्ध ग्रेडों में अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	ग्रेड/वेतनमान	संवर्ग संख्या		अधिकारियों की संख्या
		1-11-61 को	1-12-90 को	
1.	उच्च प्रशासनिक ग्रेड (7300-7600 रु०)	—	1	—
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900-6700 रु०)	—	9	1
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3700-5000 रु०)			
	ग्रेड-I	8		
	ग्रेड-II	7	116	85
4.	ग्रेड III (3000-4500 रु०)	54	143	180
5.	ग्रेड IV (2200-4000 रु०)	116	260	271
	जोड़	185	529	537

टिप्पणी :

1. कालम 4 में ग्रेड चार के सामने दिये गये आंकड़े 73 पदों के अतिरिक्त हैं जिन्हें छुट्टी, प्रशिक्षण तथा प्रतिनियुक्ति आरक्षण के रूप में चलाया जा सका।

2. कालम 3 तथा 4 में दी गई संवर्ग संख्या में मंत्रालयों/विभागों में समरूप वेतनमानों वाले परन्तु जिन्हें भा.सां.से. में सम्बद्ध ग्रेड में संवर्ग में शामिल नहीं किये गये, सांख्यिकीय कार्य संबंधी पद शामिल नहीं हैं।

3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सामने कालम 5 में दिये गये आंकड़ों में चयन ग्रेड अधिकारी शामिल हैं।

4. ग्रेड III के सामने कालम 5 के आंकड़ों में ग्रेड III में कार्यरत 67 ग्रेड I अधिकारी तथा नरेन्द्र चड्ढा तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्यों के मामले में दिनांक 11-2-86 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रत्यावर्तन से बचाये गये अधिकारी शामिल हैं।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा ग्रेड III में नियमित रिक्तियों की वर्तमान संख्या क्रमशः 39 तथा 13 निकलती है, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। रिक्तियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित परिकलित किया गया है :-

	कनिष्ठ प्रशासनिक ड	ग्रेड III
1988	16	—
1989	11	—
1990	12	13
जोड़	39	13

क्योंकि नरेन्द्र चड्ढा के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में मई 1986 में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में वरिष्ठता सूची को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है तथा उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका के निपटान हो जाने तक यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निदेश दिया है, ग्रेड IV तथा ग्रेड III में क्रियात्मक वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध नहीं हैं अतः इन रिक्तियां

को भरने के लिये कार्रवाई नहीं की जा सकी । ग्रेड IV के संबंध में, संवर्ग संख्या से अधिक नियुक्तियां की गई थी जब नरेन्द्र चड्ढा के आदेश को मई, 1986 में कार्यान्वित किया गया था, और इस अधिकता का कुछ आज की तारीख तक विद्यमान है । उच्चतम न्यायालय ने कुछ संभरक ग्रेड कार्मिकों (ग्रेड चार में पदोन्नति हेतु पात्र) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय देते हुए हाल ही में आदेश भी दिया है कि कार्यरत याचिकादाताओं तथा इसी प्रकार के गैर-याचिकादाताओं को 1-10-90 से ग्रेड IV में नियुक्त किया जाना चाहिये ।

Solution to Ram Janam Bhoomi-Babri Masjid Dispute

610. SHRI MOHAMMED AMIN:
SHRI SUKOMAL SEN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have initiated any process to solve the Ram Janam-bhoomi-Babri Masjid dispute;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what action Government propose to take after the process is over; and

(d) if the answer to part (a) above be the negative, what is the contemplation of Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) Government's efforts to find a mutually acceptable soluton to the dispute are continuing.

(c) and (d) The Government is hopeful that the process of dialogue would yield results.

Promotions and Appointment in Group 'A' Services of Government of India

611. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that opportunities for promotions and appointments available in Group 'A' category of different services of Government of India are less as compared to those available in Indian Administrative Service;

(b) whether it is a fact that for reaching the senior administratvie level (pay scale Rs. 5900-6700) there is a variation in the time-limit ranging from 17 years to 30 years in Group 'A' category of different services of Government of India; and

(c) if so, whether, keeping in view the fact that due to this anomaly the morale of the officers in these services in discharging their duties is affected. Government propose to take any action to remove this anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) to (c) The promotion avenues in Group A Central/All-India Services of the Government of India are, by and large, comparable. The promotion prospects in any Service vary at different points of time depending upon the availability of posts in the higher grades.

The system of triennial Cadre Review of these Services has been made much more regular in recent years, which also takes into account the promotional prospects available to the members of the Service.

Communal Violence in Hyderabad, Aligarh Kanpur and Gujarat

612. SHRI M. S. GURUPADA-SWAMY:
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the estimated loss of life and property following unprecedented re-